CHANDIGARH ADMINISTRATION
ON THE INTERNET
http://chandigarh.nic.in/

Regd. No. CHD/0131/2015—2017

Price : Rs. 3.00

GOVERNMENT OF INDIA

Chandigarh Administration Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 16, 2017 (ASVINA 24, 1939 SAKA)

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त 2017

साoकाoनिo 1015 (अ). – केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (2011 का पंजाब अधिनियम 24) और पंजाब सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का पंजाब अधिनियम 10) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को विस्तारित करती है, अर्थात्:-

उपांतरण

पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011

(पंजाब अधिनियम 2011 का 24)

1. पूरे अधिनियम में "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

2. खंड *(1)* में, उपखंड *(1)* में, "सेवा अधिनियम, 2011" शब्दों और अंकों के पश्चात् "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को यथाविस्तारित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. खंड 2 में, उपखंड *(ट)* में, "पंजाब राज्य की सरकार" शब्दों के स्थान पर, "संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे ।

4. धारा 12 में, उपधारा *(1)* में,-

   (क) "पंजाब सेवा का अधिकार आयोग" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ सेवा का अधिकार आयोग" शब्द रखे जाएंगे;

   (ख) परंतुक में, "वित्त आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक का सलाहकार" शब्द रखे जाएंगे;

5. धारा 13 में, -

(क) उपधारा (1) में, "पंजाब विधान सभा में विपक्ष का नेता" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार" शब्द रखें जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "पंजाब राज्य का मुख्य सचिव या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में, "पंजाब काडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "पंजाब या हरियाणा या अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र काडर से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

6. धारा 15 में, उपधारा (3) और उपधारा (4) में, दोनों स्थानों पर "राज्य पाल" शब्द के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा ।

7. धारा 18 में, उपधारा (2) में, "पंजाब विधान सभा" शब्दों के स्थान पर "संसद" शब्द रखा जाएगा ।

8. धारा 21 में, उपधारा (3) में, "राज्य विधान मंडल के सदन" शब्दों के स्थान पर "संसद का प्रत्येक सदन" शब्द रखे जाएंगे ।

9. धारा 23 का लोप किया जाएगा ।

पंजाब सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014

(पंजाब अधिनियम 2014 का 10)

10. धारा 1 में, उपधारा (1) में, "सेवा (संशोधन) अधिनियम 2014" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को यथाविस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[फा० सं० यू- 11020/2/2014-यूटीएल]

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव

उपाबंध I

पंजाब सरकार राजपत्र (असाधरण), तारीख अक्तूबर 20, 2011

भाग-1

विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

20 अक्तूबर, 2011

संख्यांक 37 विधायी/2011.—पंजाब राज्य की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को पंजाब की सहमति 19 अक्तूबर, 2011 को हुई, और साधारण जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011

(पंजाब अधिनियम संख्यांक 2011 का 24)

अधिनियम

दी गई समय-सीमा में पंजाब राज्य के लोगों के लिए सेवाओं को प्रदान करने के लिए और उनसे संबंधित तथा उनके अनुषांगिक मामलों के लिए

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. *(1)* इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब सेवा का अधिकार, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'आयोग' से धारा 12 से अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है;

(ख) 'पदाभिहित अधिकारी' से धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) 'पात्र वयक्ति' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवाओं को अभिप्राप्त करने के लिए पात्र है;

(घ) 'प्रथम अपील प्राधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 3 के अधीन इस प्रकार अधिसूचित है;

(ङ) 'दी गई समय-सीमा' से धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय अभिप्रेत है;

(च) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) 'सेवा का अधिकार' से दी गई समय-सीमा के भीतर सेवा अभिप्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा' से धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा अभिप्रेत है;

(झ) 'दूसरी अपील प्राधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 3 के अधीन इस प्रकार अधिसूचित है;

(ञ) 'धारा' से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ट) 'राज्य सरकार' से पंजाब राज्य की सरकार अभिप्रेत है ।

सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारी, दूसरी अपील प्राधिकारी और दी गई समय-समय की अधिसूचना।

3. *(1)* राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा ऐसी सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा ।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, दूसरी अपील प्राधिकारी और दी गई समय-सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

सेवाएं प्रदान करना ।

4. पदाभिहित अधिकारी दी गई समय-सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा प्रदान करेगा।

सेवा अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया ।

5. *(1)* कोई पात्र व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी सेवा को अभिप्राप्त करने के लिए पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करेगा ।

(2) पदाभिहित अधिकारी उपधारा *(1)* के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर सेवा प्रदान करेगा या दी गई समय-सीमा के भीतर आवेदन को अस्वीकृत करेगा और आवेदन की अस्वीकृति की दशा में लिखित में कारणों को अभिलिखित करेगा तथा उसे आवेदक को सूचित करेगा ।